न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 91/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भंवरूराम पुत्र माधाराम जाति जाट निवासी ढाढरियाकलां तहसील डेगाना जिला नागौर।		राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार सांजू तहसील डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री रामकिशोर मुण्डेल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 14.02.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 159/2017 सरकार बनाम भंवरूराम में निर्णय दिनांक 18.10.17 के तहत मौजा ढाढरियाकलां के खसरा नं. 501 गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.11.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 15.11.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्वान्तों की अवहेलना कर निर्णय जैर अपील दिनांक 18.10.17 का विधि विरूद्व रूप से पारित किया गया, जो निरस्तनीय है।

{2}(II)–दिनांक 27.5.17 को उप तहसीलदार सांजू के समक्ष शिकायत प्राप्त होने पर न्याय आपके द्वार केम्प बुटाटी क्रमांक भूअ/17/211 दिनांक 24.5.17 की पालना में संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत के तहत पटवारी हल्का निम्बडी चांदावता के साथ भू अभिलेख निरीक्षक बूटाटी ने ग्राम ढाढरिया कलां के हाल खसरा नं. 789, 593, 594 झापरी नाडी व हाल खसरा नं. 501 सिदाण नाडी में अतिक्रमण संबंधी शिकायत की जांच बाबत मौके पर पहुंच कर खसरा नंबरान की ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध मोमीया सीट से पैमाइश की गई। जिसके अनुसार खसरा नं. 789 में एक अतिक्रमण नही पाया गया। अन्य खसरा नंबरान 593, 594, 501 में कोई अतिक्रमण नही पाया गया। इस प्रकार भू अभिलेख निरीक्षक बूटाटी एवं पटवारी हल्का निम्बडी चांदावता द्वारा दिनांक 27.5.17 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अपीलांट का कोई भी भू भाग पर अतिक्रमण नही होने से आदेश दिनांक 18.10.17 का निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट के खातेदारी हक अधिकार का खेत, कृषि भूमि हाल खसरा नं. 496 रकबा 2.3500 हैक्ट. मौजा ढाढरियाकलां की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के माफिक कब्जा काश्त पुश्तैनी समय से चल रहा है। अपीलांट के पिता के जीवनकाल से ही हाल खसरा नं. 496 के दक्षिणी सींव के पास रहवासी ढाणी मकान व पानी का हौज धोरा सहित रहता चला आया है, जिसका भी सीमा ज्ञान दिनांक 27.5.17 को भू अभिलेख निरीक्षक बूटाटी ने की, तब के समय एवं वर्तमान में भी अपीलांट का आज दिन तक हाल खसरा नं. 501 में अतिक्रमित भूमि नही है। फिर भी पटवारी हल्का निम्बडी चांदावता ने लोगो के बहकावे में आकर निराधार रिपोर्ट दिनांक 31.08.17 की प्रस्तुत कर झूठा मामला दर्ज कराया गया, जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का निम्बडी चांदावता एवं आरआई बुटाटी को परिक्षित किये बिना ही विधि विरूद्व रूप से मामला बनाकर निर्णय दिनांक 18.10.17 को अपीलांट को बेदखल करने व जुर्माना अधिरोपित कर दण्डित किया जो निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अपीलांट के खातेदारी के खेत हाल खसरा नं. 496 मौजा ढाढरिया कलां का सीमा ज्ञान से कब्जा हाल खसरा नं. 501 में पाया भी जावे तो अपीलांट के मकान पानी के होद के कब्जा हस्तक्षेप किये बिना रकबा 0.03 हैक्ट. में कब्जा हटाने के बजाय अपीलांट के कृषि भूमि के भू भाग में अतिक्रमण माना गया

अपर कलक्टर, नागौर

भूमि के बराबर भू भाग राज्य सरकार के हक में ले लिया जावे एवं विकल्प में अपीलांट के पुश्तेनी मकान में हस्तक्षेप करने से रोका जाना न्यायोचित है। राज्य सरकार अपीलांट से जमीन के बदले जमीन के फार्मूला से कार्यवाही कर सकती है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.10.17 निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को गुणावगुण पर सुनवाई किये बिना निर्णय किया जो विधि विरूद्व भी है। दिनांक 18.10.17 की आदेशिका से पूर्व शिकायतकर्ता पटवारी हल्का, आरआई के बयान लिये जाने चाहिये थे, एवं अपीलांट को भी जवाब प्रस्तुत करने व साक्ष्य हेतु समुचित अवसर दिये जाने पर अपीलांट अपीलांट अपना संपूर्ण पक्ष रख सकता था, मगर विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना निर्णय जैर अपील पारित किया जो निरस्तनीय है।

{2}(VI)–अपीलांट ने दिनांक 5.10.17 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलांट का अतिक्रमण नही है, अगर होगा तो हटा लूगा, जिससे पुन जांच कर सीमा ज्ञान माप कर बताया जावे, फिर भी आदेशानुसार कार्यवाही नही कर आरआई ने अधूरी व झूठी रिपोर्ट मौके पर गये बिना भेज दिया गया। जिससे वस्तु स्थिति भी सामने नही आ सकी। इसलिये भी आदेश दिनांक 18.10.17 निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम ढाढरियाकलां में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ढाढरियाकलां के खसरा नंबर 501 गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर राजकीय भूमि है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार दिये जाने प्रतिबंधित किये हुए है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर